भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 31

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

पीएमजेडीवाई के लाभार्थियों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधाएं

31. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में पीएमजेडीवाई के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) उक्त योजना के अतंर्गत संबंधित दुर्घटना बीमा कवरेज की कितनी राशि प्रदान की जाती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 15.1.2025 तक देश भर में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 54.57 करोड़ है।

(ख): पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 15.1.2025 तक लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

(लाख में)

दादरा और नगर हवेली	1.69
मध्य प्रदेश	447.10
संभाजी नगर (औरंगाबाद)	15.43

(ग): पीएमजेडीवाई के अंतर्गत पात्र पीएमजेडीवाई लाभार्थी ₹10,000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

(घ): पीएमजेडीवाई के अंतर्गत, खाताधारकों को ₹2 लाख (दिनांक 28.8.2018 से पहले खोले गए खाते के लिए ₹1 लाख) तक के दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक नि:शुल्क रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।

बीमा का लाभ उन कार्डधारकों को प्राप्त होता है जिन्होंने दुर्घटना की तारीख सहित दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले किसी भी चैनल (एटीएम/माइक्रो एटीएम/ई-कॉमर्स/पीओएस आदि) पर रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया हो।

आज की तारीख तक रुपे कार्ड दुर्घटना बीमा दावों की संख्या (17.1.2025 तक)	
प्राप्त दावे	13,474
निपटाए गए दावे	9,309
अस्वीकृत दावे	4,073
प्रक्रियाधीन दावे	92
भुगतान की गई दावा राशि (करोड़ रुपये में)	103.30

*****